Public Notice

M/s. Adani Power Limited (Erstwhile Raigarh Energy Generation Limited) is supplying five percent (5%) of net generated power (at variable cost) to Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. from its 600 MW coal based thermal power plants situated at Village: Chhote Bhandar, Tehsil: Pussore, Dist: Raigarh, Chhattisgarh – 496001. In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 Section 62, 86 and applicable CSERC (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations. M/s. Adani Power Limited has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for the determination of variable cost for FY 2023-24. This petition is registered as petition no. 72 of 2024.

In the petition, M/s. Adani Power Limited has requested for approval of energy charge rate of INR 1.903/kWh for FY 2023-24.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or copy to Director, Adani Power Limited, Raigarh, to Village: Chhote Bhandar, Tehsil: Pussore, Dist: Raigarh – 496001, Chhattisgarh, Email info@adani.com within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 250/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

Authority Signatory,
Adani Power Limited (Raigarh TPP)
Raigarh (C.G.)

अडानी पॉवर लिमिटेड
आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत परिभाषित, विद्युत उत्पादन कंपनी अडानी पॉवर लिमिटेड (भूतपूर्व रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व अवधारणा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020–21, वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए याचिका दायर की गई है। यह याचिका कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लान्ट जो कि ग्राम–छोटे भण्डार, पोस्ट ऑफिस बड़े भण्डार, तहसील पुसोर, जिला–रायगढ़ (छग), पिन–496100 में स्थापित है, जो कि नेट जनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को विद्युत आपूर्ति कर रहा है। दायर की गई याचिका (5 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति के लिए) शुल्क दर के निर्धारण के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को 90/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु ऊर्जा अनुमानित प्रभार दर रू.1.911/kWh, वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ऊर्जा अनुमानित प्रभार दर रू.2.206/kWh और वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ऊर्जा अनुमानित प्रभार दर रू.2.148/kWh जो कि नेट जनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत के ऊर्जा अनुमानित प्रभार दर के लिए निवेदन किया गया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेल cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष एवं/या निदेशक अडानी पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ थर्मल पॉवर प्लान्ट ग्राम–छोटे भण्डार, पोस्ट ऑफिस बड़े भण्डार, तहसील पुसोर, जिला–रायगढ़ (छग), पिन–496100 ई–मेल info@adani.com पर भेजी जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 250/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सायः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना, आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

निदेशक
अडानी पॉवर लिमिटेड (रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड)
रायगढ़ (छ.ग.)